न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–06/2024 जीसीएमएस नंबर :–2024/9

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धीराराम पुत्र आम्बाराम 2. मगनाराम पुत्र आम्बाराम जातियान देवासी निवासी नैनोल तहसील सांचौर		1. आम्बाराम पुत्र रवाराम 2. जोईताराम पुत्र आम्बाराम 3. वसनाराम पुत्र आम्बाराम जातियान देवासी निवासी नैनोल 4. मानी पुत्री आम्बाराम जाति देवासी निवासी अगार 5. अणदी पुत्री आम्बारा पत्नी मेवाजी 6. कंकू बेन पुत्री आम्बाराम पत्नी जोईताराम निवासी पांचला 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर 8. उप पंजीयक सांचौर

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

उपस्थितः– 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया
2. अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया

दिनांकः–22.01.2025

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– अप्रार्थी संख्या एक हम प्रार्थीगण के पिता है व अप्रार्थी संख्या 02 से 03 हम प्रार्थीगण के सगे भाई है एवं अप्रार्थी संख्या 04 से 06 हम प्रार्थीगण की बहन है। इस प्रकार हम पक्षकार हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नानोल पटवार हल्का नानोल तहसील सांचोर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खाता सख्या 395 के खसरा नम्बर 1239/410 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1441/242 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 242/1037 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 410 रकबा 6.30, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा हैक्टर, खसरा है[illegible] 412 रकबा 0.08 नम्बर 414 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.10 हैक्टर, [illegible] रकबा 11.08 हैक्टर के आये हुये है। जिसमें प्रार्थीगण के दादा रवाराम के नाम से दर्ज थी। जिनके फौत होने [illegible] प्रार्थीगण के पिता अम्बाराम के नाम से दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्थ आर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की पुश्तैनी आयी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्ध हक कर आया हुआ है तथा मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है।

वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध हक हकूक व अधिकार है। प्रार्थीगण का मौके पर पुश्तैनी कब्जा काश्त उपयोग आया हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नही हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का कण-कण में पुश्तैनी, हक हिस्सा मौजुद है। वादी वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से प्रार्थीगण का अपने दादा रवाराम पुत्र धर्मा के नाम से इन्द्राज था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा नोशनल शेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के पिता आम्बाराम पुत्र रवाराम अत्यन्त वृद्ध अवस्था के व्यक्ति है तथा परिवार में आपसी भाईयो के मुकदमे बाजी होकर पुलिस थाना सांचोर में आपसी एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज हो चुके है। उक्त मुकदमेबाजी के अनबन को निकालने के लिए एवं अनबन का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 02 ता 03 अपने वंश मे कर बहला फुसला कर अत्यत वृद्ध अवस्था व मुकदमेबाजी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहीन की श्रेणी में खड़े करने को तुले हैं।

अप्रार्थी से 01 व अप्रार्थी 02 ता 03 को प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि व प्रार्थीगण के पुश्तैनी जन्म सिद्ध हक हिस्से को बेचान करनें या विनियम करनें, रहन, तर्क करनें का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थीगण समय-समय पर अप्रार्थी सं. 1 की हर दैनिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार व तत्पर है। उसके बावजुद भी अप्रार्थी सं. 1 आम्बाराम को अप्रार्थी संख्या 02 ता 03 आगे कर अपने पक्ष में सम्पूर्ण भूमि करवाकर पारिवारिक अनबन को निकालने के आशय से प्रार्थीगण की सम्पूर्ण भूमि को खुद-बुर्द, करना चाहते है तथा आगे से आगे वैचान,रहन, तर्क करनें को तुले हुए है। जिससे प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक खतरे में पड़ जाने से दावा एतदर्थ पेश मजबूत आधारो पर माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित आराजी का अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी बंट हिस्से में किसी प्रकार काश्त करने से नहीं रोके व प्रार्थीगण के पुश्तैनी बंट हिस्से, हक एवं कब्जे की भूमि में जबरन प्रवेश कर काश्त नहीं करे एवं न ही करावें तथा किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही करावें तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत,आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 04 ता 05 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

2 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 06 से 08 रजि0 नोटिस तामिली के बावजूद भी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:48 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 05 की और से अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 88, 188 के अधीन कोई वाद आर.टी. उक्ट 1955 में धारा 5(43) में परिभाषित श्रेणी का खातेंदार या सहखातेदार ही ला सकता है। प्रार्थीगण इस श्रेणी के वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार नहीं होने से यह वाद कानूनिया विधिवर्खित है। मूलवाद में उल्लेखित प्रकार का कोई बिनायवाद नोशनल शेयर धारी यानि काल्पनिर हिस्सेदार के पक्ष में उत्पन्न नहीं होना है। प्रार्थीया विधिनुसार वादग्रस्त भूमि के धारा –5(43) आर.टी.एक्ट 1955 में परिभाषित श्रेणी के संयुक्त खातेदार नहीं है। तथा न हो रेकॉर्डेड सह– खातेदार है। तथा न इनका वादग्रस्त भूमि में बाप रे जिवनकाल में कोई खातेदारी हक, कब्जाकाश्त विधिनुसार माना जा सकता है। केवल बाप के जीवनकाल में बेटे का बाप को उत्तराधिवार में प्राप्त बाप की पुश्तैनी सम्पत्ति में बेटे का जन्म से काल्पनिक हिस्सा होता है जो बाप की निर्वसीयती मृत्यू पर प्रभाव में आता है। धारा 88 व 188 के अधिन आर.टी.एक्ट 1955 में परिभाषित श्रेणी का Tenant, Co-Tenantes अथवा रेकॉर्डेड टिनेन्ट ही वाद ला सकता है ऐसी अवस्था में प्रकरण अनवान अस्थायी व्यादेश जारी करने के तीनों प्रतिपादित सिद्धान्त यथा– प्रथम् दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान में योग्य अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता आम्बाराम के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा पुष्तैनी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का आया हुआ है अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने साथ मिलकर कई बार प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकिया दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सोदा तय हो गया है, कि आप कब्जा खाली कर हो अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर दिया जायेगा। जिसे उन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से काश्त रोककर व बेदखल कर आगे से आगे बैचान रहन, तर्कदान आदि कर देगें। तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका आंकलन हकों में सम्भव नही। अतः अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में पाबंद फरमावे।

6. प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण विधिनुसार वादग्रस्त भूमि धारा 5(43) आर.टी. एक्ट 1955 में परिभाषित श्रेणी में संयुक्त खातेदार नहीं है तथा ना ही रेकॉर्डेड सह–खातेदार है, इनका वादग्रस्त भुमि में वाद के जीवनकाल में कोई खातेदारी हक, कब्जाकाश्त विधिनुसार माना जा सकता है केवल वाद के जीवनकाल में बेटे का नाम से काल्पनिक हिस्सा होता है जो पिता की पुश्तैनी संपति में बेटे का नाम से काल्पनिक हिस्सा होता है जो पिता की मृत्यु पर प्रभाव में आता है। ऐसी अवस्था में प्रकरण अनवान अस्थायी आदेश जारी करने के तीनो प्रतिपादित सिद्धान्त यथा– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिंद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

7. अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। विश्लेषण निम्नानुसार है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

(1) **प्रथम दृष्टया मामला** उपरोक्त वादागस्त आराजी को प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी व हक हिस्सा का बताया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो प्रथम व द्वितीय सेटलमेट तथा मिलान क्षैत्रफल ग्राम नैनोल के अनुसार पूर्ण रूप से पैतृक प्रतित नही होती है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के दादा रवाराम से प्रार्थीगण के पिता आम्बाराम के नाम दर्ज हुई है जिसमे प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा नोशनल शेयर का होना साबित है। वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता जीवित है तथा वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी का बैचान किये जाने तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से का खत्म किये जाने का किसी तरह का प्रमाण पेश नही किया है। प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति बाबत हक – हिस्सा मूल वाद मे तय होना है, प्रार्थीगण का पिता वादग्रस्त आरजी का रेकोर्कड खातेदार है, जिसके विरूद्व इस स्टे पर अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित नही होता है इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतित नहीं होता है।

(2) सुविधा का संतुलन प्रथम बिन्दु मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे सबित नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी 01 के पक्ष मे साबित है।

(3) अपूर्णय क्षति प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने से अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण का साबित नहीं होता है।

–:निर्णयः–

8. फलतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारहीन व पोषणीय नही होने से एतद द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार खर्चा अपना –अपना वहन करे। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner